यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), राज्य कर, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), राज्य कर, रामनगर के माह 06/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.06.2018 से 18.06.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत प्रथम लेखापरीक्षा है जिसमें माह --- से ---- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह ----- से ----- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः रामनगर, पीरूमदारा, ढिकुली।**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	2087.87
2016-17	2283.26
2017-18	958.96

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटित बजट राशि (₹)	व्यय राशि (₹)	अवशेष/समर्पण (₹)
2015-16			
2016-17	लागू नहीं है।		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), राज्य कर, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: 10/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व प्राप्ति) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो अ

प्रस्तर-1 अधिक वापसी के कारण राजस्व क्षति ` 7.03 लाख

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या- 380/2013/02(120)/ XXVI(8)/ 2013 दिनांक 28.03.2013 के द्वारा अविभाजित सिविल एवं अविभाजित विद्युत संविदाकारों मे दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए समाधान योजना लागू किया गया।

सिविल संविदा की शर्त के अनुसार सिविल सविदा के संबंध मे समाधान राशि की गणना निम्न शर्तो के अनुसार की जाएगी-

बिन्दु 03 – सिविल सविदाकारों के संबंध मे समाधान राशि मे समाधान राशि का आगणन-

सिविल संकर्म संविदाओ के संबंध मे समाधान राशि का आकलन, सविदाकार द्वारा सम्पन्न सविदा की सकल धनराशि मे से सविदी द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे माल की धनराशि के घटाने के पश्चात प्राप्त धनराशि पर की जाएगी जिसका उल्लेख सविदा मे हो किन्तु यह कटौती अधिक से अधिक 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी। जिन सिविल संविदा मे मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) संविदा की कुल धनराशि के 33 प्रतिशत से अधिक होगा उनमे सविदाकार को प्राप्त होने वाली राशि मे से अर्थवर्क के संबंध मे संविदा की 33 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने वाली राशि घटा दी जाएगी तथा अवशेष राशि पर समाधान राशि की गणना की जाएगी।

(क) ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री कर पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया गया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि मे कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना उपरोक्त के अनुसार आगणित धनराशि का 2 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि)-राज्य कर, रामनगर के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि सर्व श्री त्रिलोक सिंह, रामनगर सिविल संविदाकार, टिन 05003430527 द्वारा वर्ष 2013-14 मे समाधान योजना धारा 7 (2) का लाभ लिया गया है। संविदाकार की कर निर्धारण वर्ष 2013-14 की पत्रावली की जांच मे पाया गया कि संविदाकार द्वारा धनराशि ` 50,31,050.50 (फॉर्म IV (बी) के अनुसार) संविदी विभागो से प्राप्त हुआ घोषित किया गया था। जिस पर ` 8,89,052 की TDS की कटौती की गयी थी एवं चालान द्वारा ` 92,286 जमा किया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 3,73,93,786 पर 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि ` 7,47,875 निर्धारित किया गया था । जबकि फार्म-IV(बी) एवं फॉर्म-08 के अनुसार वर्ष 2013-14 मे संविदाकार को कुल ` 6,46,27,116 धनराशि संविदाकार को प्राप्त हुई थी। जिसका विवरण निम्नानुसार था।

क्र0 सं0	फॉर्म -08 संख्या	अनुबंध का वर्ष			कुल योग
		पूर्व वर्ष से 2011-12 तक का	2012-13	2013-14	
01	166528	2587654	--	--	3284854+61342262=64627116
02	153953	-----	-----	10132772	
03	153948	697200	---	1500000	
04	153975	---	---	35137167	
05	165008	---	---	282764	
06	153959	----	-----	7158903	
07	153652	---	----	1716515	
08		1414141			
09		4000000			
योग		3284854		61342262	
समाधान राशि		1 प्रतिशत		2 प्रतिशत	
		32849		1226845	12,59,694

धनराशि ` 6,29,02,479 पर 1 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की दर से समाधान राशि ` 12,65,202 देय था । इस प्रकार **TDS +** जमा धनराशि `9,81,338 (`8,89,052 + `92,286) को घटाने के पश्चात ` 2,78,316 की अतिरिक्त मांग संविदाकार पर बनती है। जिस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था। वापस की गयी धनराशि + मांग की धनराशि (`2,33,463 + ` 278316) कुल ` 5,11,779 के कर की वसूली संविदाकार से किया जाना था।

(ख) वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14/ (120) XXVII (8)06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार के लिये समाधान योजना (4) (क) के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया हो, आगणित धनराशि के 4 प्रतिशत होगी।

(4) (ख)जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया हो जिसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि 6 प्रतिशत निर्धारित की जायेगी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14/12/ XXVII (8)06 दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक

आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

कार्यालय के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि ब्यौहारी सर्वश्री अग्रवाल कन्सट्रक्शन बजा लाइन रामनगर सिविल संविदाकार टिन 05003338280 विभाग में पंजीकृत है।

व्यापारी के वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण आदेश के अनुसार संगत वर्ष में प्राप्त शुद्व भुंगतान `3,05,67,440.00 पर दो प्रतिशत की दर से ` 6,11,349.00 **कर** आरोपित **किया गया एवं कुल जमा धनराशि ` 689166 में से आरोपित कर को** समायोजित करते हुये `77,817.00 वापस कर दिया गया।

उपरोक्त शासनादेश के आलोक में एक मुस्त समाधान योजना वर्ष 2012–13 के अनुसार निम्नलिखित भुगतानों पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित थी,

वर्ष 12–13 की संविदा से प्राप्त संगत वर्ष में भुगतान रुपये में	कटौती की धनराशि रुपये में	प्रपत्र 8 की संख्या
17,50,000.00	70,000.00	127891
15,00,000.00	60,000.00	127892
35,00,000.00	1,40,000.00	150974
28,00,000.00	1,12,000.00	150975
योग रु.95,50,000.00		

कर निर्धारण आदेश में दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की गयी थी, अतः अन्तरीय दो प्रतिशत (4–2) की दर से `1,91,000.00(9550000x2%) कर (समाधान राशि) अनारोपित रह गया।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करके लेखा परीक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वाशन दिया गया। अतः अधिक वापसी ` 7.03 (5.12 लाख +1.91 लाख) लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-(2) ब

प्रस्तर-1 अर्थदण्ड का अनरोपण ` 1.42 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ, जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी, जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तो के आधीन रहते हुए जैसा कि इस धारा में विर्निदिष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भगतान किया गया और जिसके कारण ऐसी रिति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये। इस अधिनियम की धारा 58(1)(xi) के अनुसार इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है तो पाँच हजार रूपये या दावा कृत धनराशि की तीन गुणा धनराशि, जो भी अधिक हो, देय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), खंड-01 राज्य कर, रामनगर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया सर्व श्री मित्तल सरिया सीमेंट स्टोर पैठ पड़ाव रामनगर टिन 05008343286 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में व्यापारी द्वारा कुल खरीद ` 4,36,00,536 घोषित करते हुए ` 36,60,234 की आई टी सी का दावा गया था। दावाकृत आई टी सी जांच मे सर्व श्री सिद्धबली ट्रेडर्स कोटद्वार की गयी खरीद ` 9,47,700 पर 5 प्रतिशत की दर से ` 47,385 की दावाकृत आई टी सी सत्यापित नहीं हो पायी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई टी सी को विलोपित किया गया। उक्त विलोपित आई टी सी के संबंध मे अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की गयी । जबकि उपरोक्त धारा के अनुसार गलत दावाकृत आई टी सी पर अर्थदण्ड ` 1,42,155 (`47,385 x 3 गुना) व्यापारी पर आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करके लेखा परीक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः अर्थदंड के अनारोपण `1.42 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 "ब"</u>

प्रस्तर-2 ब्याज का अनारोपण ` 1.17 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), वाणिज्य कर, रामनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री इण्डो फाईटो केमिकल प्रा0 लि0, पीरूमदारा, रामनगर (टिन नं0 05003370581) कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली जांच में पाया गया कि व्यापारी पर केन्द्रीय कर निर्धारण आदेश में ` 2,73,093 की माँग सृजित की गयी थी। जिसे व्यापारी आदेश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर राजकोष में जमा करेंगे ।

व्यापारी द्वारा उक्त धनराशि ` 2,73,093 चालान सं0 85 दिनांक 11.08.2017 को जमा कर दी गई किन्तु ब्याज जमा करने का प्रमाण पत्रावली एवं R-3 (बकाया पंजिका) में उपलब्ध नहीं है ।

अतः धनराशि ` 2,73,093 पर माह 10/2014 से दिनांक 11.08.2017 तक 34 माह 11 दिन का 15% की दर से ब्याज ` 1,17,298 देय है जिसे जमा किया जाना अपेक्षित है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्यवाही के उपरान्त अवगत कराया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग–(2) "ब"

प्रस्तर 03;–अनियमित कर छूट दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ` 97,425.00

केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली 1957 के नियम 12 सेक्सन (5) सब सेक्सन (1) व (2) के अनुसार एक प्रपत्र एफ में केवल एक ही माह के संव्यवहार कर छूट हेतु अनुमन्य होंगे ।

कार्यालय **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.), राज्य कर, रामनगर** के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री सर्वरी **टर्रे उघोग** शंकरपुर टिन 05003429072 चाय के क्रेता बिक्रेता के रुप में पंजीकृत है। कर निर्धारण वर्ष 2015–16 की पत्रावली के अनुसार चाय की सकल विक्री संगत वर्ष में `2,67,39,641.00 की गयी थी। जिसमें से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत चाय का प्रान्त बाहर स्टाक ट्रांसफर `29,69,330.00 का चार प्रपत्र एफ से दिखाया गया था। आगे जॉच में पाया संव्यवहार निम्नानुसार अंकित किये गये–

प्रपत्र एफ की सं0	बिल सं0	दिनॉक	धनराशि	धनराशि जिस पर छूट अनुमन्य नहीं है
एन–474561	1	10.04.15	1,54,400.00	
	2	15.05.15	71,800.00	71,800.00
	3	17.06.15	1,35,750.00	1,35,750.00
एन–474563	9	4.10.15	1,79,360.00	
	10	14.10.15	1,61,210.00	
	11	6.11.15	1,85,440.00	1,85,440.00
	12	12.12.15	1,91,160.00	1,91,160.00
	13	16.12.15	1,77,950.00	1,77,950.00
एन 474564	14	3.01.16	2,07,960.00	
	15	19.01.16	1,84,230.00	
	16	12.02.16	2,31,320.00	2,31,320.00
	17	8.03.16	1,94,700.00	1,94,700.00
	18	27.03.16	1,74,690.00	1,74,690.00
एन–474562	4	15.07.15	1,33,680.00	
	5	03.08.15	1,08,520.00	1,08,520.00
	6	15.08.15	1,56,400.00	1,56,400.00
	7	02.09.15	1,61,120.00	1,61,120.00
	8	20.09.15	1,59,640.00	1,59,640.00
			योग	**19,48,490.00**

चूँकि केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली 1957 के नियम 12 सेक्सन (5) सब सेक्सन (1) व (2) के अनुसार एक प्रपत्र एफ में केवल एक ही माह के संव्यवहार कर छूट हेतु अनुमन्य होंगे का प्रावधान किया गया है। अत; एक माह से अधिक माह के अंकित संव्यवहारों पर कर छूट अनुमन्य नही होनी थी। अत; इस विक्रय पर नियमानुसार पॉच प्रतिशत की दर से `97424.50(1948490x5%) कर आरोपणीय होगा। उक्त अनारोपित कर के कारण `97425.00 की राजस्व क्षति से इन्कार नही किया जा सकता।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराने की टिप्पणी की गयी।

अतः ` 0.97 लाख की अनियमित कर छूट दिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 "ब"

प्रस्तर-4 कम दर से कर के आरोपण से राजस्व क्षति ` 27,131/-

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) एवं (ई) के अनुसार, अनुसूची-II(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% तथा किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में 13.5% की दर से कर देय है । पुनः अधिनियम की धारा 34(4) के अनुसार, स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, रामनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सोना फार्मा प्रोडक्ट्स, कोसी रोड, रामनगर (टिन नं0 05003424610) कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली जांच में पाया गया कि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ` 2,09,300 के पुराना वारदाना की बिक्री पर 5% की दर से ` 10,465 कर आरोपित किया गया है । जबकि पुराना वारदाना उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है । अतः पुराने बारदाने की बिक्री ` 2,09,300 पर अन्तरीय दर 8.5% (अर्थात् 13.5% - 5%) से ` 17,791 (` 2,09,300 x 8.5%) कर आरोपणीय है, जिसे आरोपित नहीं किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त राशि ` 17,791 पर 42 माह (10/2014 से 03/2018 तक) का 15% वार्षिक की दर से ब्याज ` 9,340 बनता है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः ` 27,131 की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 "ब"

प्रस्तर-5 माह 10/2016 एवं 03/2018 के दैनिक संग्रह रजिस्टर एवं कोषागार के CTR में क्रमशः ` 1.11 लाख एवं ` 0.18 लाख का सत्यापन न होना ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), राज्य कर, रामनगर की लेखापरीक्षा में माह 10/2016 के दैनिक संग्रह रजिस्टर का कोषागार के CTR से सत्यापन में निम्नलिखित प्राप्तियों का अंकन नहीं पाया गयाः-

Sl. No.	DCR No./Challan No.	TIN/TDAN	Dealer Name	Address	Assessment Year	Tax Period	Challan Date	Amount deposited	Bank Name
1.	101600448	05006805739	M/s Ganpati International	Dhikuli Ramnagar	2016-17	0	05/10/2016	7000	State Bank of India
2.	101601471	05010558087	M/s Golden Fish Canteen	Lakhanpur, P.O.- Ramnagar, Distt. Nainital	2016-17	September	06/10/2016	45078	Punjab National Bank
3.	101604703	05011868072	M/s Krishna Drinks	NA- Sidheshwar Mandir Marg, Khatari, Nainital-244715	2016-17	September	12/10/2016	5420	State Bank of India
4.	101607930	05010268154	M/s Mahi Fashion, Jwala Line, Ramnagar	Jwala Line, Tehsil & P.O. Ramnagar, Distt. Nainital	2016-17	July-Sep	17/10/2016	2650	State Bank of India
5.	101607762	05015423704	M/s Corbett The Baagh Spa and Resort	Khasra No. 1913-Vill. Patkot, U.S.Nagar	2016-17	July-Sep	17/10/2016	29370	State Bank of India
6.	101607943	05015950705	M/s New Latwal Medical Store	15-Nanda Line, Ramnagar, Nainital-244715	2016-17	July-Sep	17/10/2016	3120	State Bank of India
7.	101611440	05007531493	M/s Bhagwati Traders	Himatpur Block, Peerumadara, Ramnagar	2016-17	July-Sep	18/10/2016	11400	State Bank of India
8.	101614162	05012750578	M/s Puchari Laghu Udhyog	NA-Vill. Puchari, Ramnagar, Nainital	2016-17	July-Sep	20/10/2016	1513	State Bank of India
9.	101616340	05007860905	M/s Uttarakhand Vidyalai Shiksha	Uttarakhand Vidyalai Shiksha Parishad,	2016-17	0	21/10/2016	5400	State Bank of India

			Parishad	Ramnagar					
Total								**1,10,951**	

2. साथ ही लेखापरीक्षा को माह 10/2016 के दैनिक संग्रह रजिस्टर में उल्लिखित चालानों के सम्मुख व्यापारी का नाम तथा CTR में उल्लिखित व्यापारी के नाम में भिन्नता है:

दैनिक संग्रह रजिस्टर के अनुसार				**CTR के अनुसार**			
DCR No./Challan No.	**Dealer Name**	**Amount**	**Date**	**Challan No./Vr. No.**	**Dealer Name**	**Amount**	**Date**
101600522	M/s Naari Pharma Private Limited	50	07/10/2016	401016018076	M/s Indo Phyto Chemicals Pvt.	50	07/10/2016
101605024	M/s Siddhbali Developers	44000	15/10/2016	401016018172	M S Ram Singh Jalal	44000	15/10/2016
101604941	Shree Jagannath Ji Hotel and Resorts	3592	14/10/2016	401016018142	Corbet Fun Resort	3592	14/10/2016
101612298	M/s Naari Pharma Private Limited	137250	18/10/2016	401016018262	M/s Indo Phyto Chemicals Pvt.	137250	18/10/2016
101612316	M/s Naari Pharma Private Limited	595790	18/10/2016	401016018262	M/s Indo Phyto Chemicals Pvt.	595790	18/10/2016
101611440	M/s Sunder Lal Ramroop	5420	18/10/2016	401016018256	M S Suresh Chandra Agrawal	5420	18/10/2016
101613529	M/s Delta Electronics	233300	20/10/2016	401016018294	Anil Pant	233300	20/10/2016
101613600	M/s Naari Pharma Private Limited	3167	26/10/2016	401016018479	M/s Indo Phyto Chemicals Pvt.	3167	26/10/2016
101614801	M/s Om Prakash Alok Kumar	1831	24/10/2016	401016018377	M S Amar Grain Agency	1831	24/10/2016
101614440	M/s Kitchen Gallery	4000	27/10/2016	401016018512	M/s Shubham	4000	27/10/2016

					Home Appliances		
101614592	M/s Diva Laghu Udyog	23640	27/10/2016	401016018544	M S Smt. Munni Devi	23640	27/10/2016
101614835	M/s Devbhumi Cashew Industries	95220	24/10/2016	401016018400	M S Panchwati Tea Company	95220	24/10/2016
101614970	M/s Nainwal Trading	850	25/10/2016	401016018450	Bhuban Chander	850	25/10/2016

3. मार्च, 2018 के DCR में चालान सं0 031800929 दिनांक 08.03.2019 में ` 18,282/- अंकित है किन्तु CTR में उक्त धनराशि अंकित नहीं पायी गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि जांच कर कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
	प्रथम लेखापरीक्षा है		-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	
	प्रथम लेखापरीक्षा है			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), राज्य कर, रामनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अरविन्द प्रताप सिंह	डी0सी0 प्रारम्भ से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), राज्य कर, रामनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र